

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

संख्या वि0स0-विधायन-नियम-130/1-33/2018

प्रेषक:

सचिव,
हि0 प्र0 विधान सभा।

प्रेषित:

✓ श्री महेन्द्र सिंह,
माननीय सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मन्त्री,
हि0प्र0, शिमला-171002.


शिमला 171004., दिनांक: 2.04.2018.

विषय: नियम-130 के अन्तर्गत प्राप्त प्रस्ताव/नोटिस से सम्बन्धित (दैनिकी संख्या:
13/2/162 ।

महोदय,

श्री मुकेश अग्निहोत्री, माननीय सदस्य से प्रक्रिया नियमों के नियम-130 के अन्तर्गत प्राप्त नोटिस को माननीय अध्यक्ष महोदय ने सदन में चर्चा हेतु स्वीकृति प्रदान कर दी है तथा चर्चा के लिए दिनांक 3.04.2018 का निर्धारित किया है इस सचिवालय द्वारा जारी बुलेटिन भाग-2 संख्यांक 52 दिनांक 2.04.2018 की प्रति सूचनार्थ एवं आगामी कार्रवाई हेतु संलग्न है ।

भवदीय,


(सुन्दर सिंह वर्मा),
सचिव,

हि0 प्र0 विधान सभा।

दूरभाष : 01892-235004.

हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

बुलेटिन भाग-2

(संसदीय एवं अन्य विषयों से सम्बन्धित सामान्य सूचना)

सोमवार, 2 अप्रैल, 2018/ 12 चैत्र, 1940(शक्)

संख्या: 52

नियम-130 के अन्तर्गत स्वीकृत प्रस्ताव

हिमाचल प्रदेश की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियम, 1973 के नियम 130 के अन्तर्गत माननीय अध्यक्ष महोदय ने निम्न प्रस्ताव को सदन में चर्चा हेतु स्वीकृति प्रदान की है। चर्चा हेतु मंगलवार, 3 अप्रैल, 2018 का दिन निर्धारित किया है:-

सदस्य का नाम

प्रस्ताव

श्री मुकेश अग्निहोत्री

"हिमाचल प्रदेश की जल संरक्षण नीति पर सदन विचार करें।"

सचिव,
हि0प्र0 विधान सभा।
